



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./ 327 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2013

भोपाल, दिनांक 3/04/2013

प्रति,


कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को निर्माण कार्य पर लगाने बावत्।

मनरेगा अधिनियम 2005 की गाइड लाईन के चतुर्थ संस्करण के बिन्दु क्र 93 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। गाइड लाईन की कंडिका 9.3.3 के प्रावधानों के अनुसार विकलांग एवं सवेदनशील व्यक्तियों जिनमें विधवा, ~~परिवृत महिलाएँ~~, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक सम्मिलित हैं, हेतु योजनांतर्गत कराये जाने वाले विशिष्ट कार्यों का चिन्हांकन संलग्न परिशिष्ट अनुसार किया गया है।

ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्य की प्रगति का पृथक रिकार्ड रखा जावे तथा उनके कार्य को अन्य श्रमिकों द्वारा किये गये कार्यों में शामिल नहीं किया जावे। ऐसे व्यक्तियों से कार्य संचालन अवधि (आठ घण्टे) में क्षमता अनुसार कार्य कराया जावे तथा उन्हें महात्मा गांधी नरेगा एक्ट अंतर्गत निहित प्रावधानुसार अन्य नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में किसी भी कारण से कम मजदूरी नहीं दी जावे।

संलग्न.- परिशिष्ट - 1


(अरुण बिशnoi)

अपर मुख्य राचिव,
म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3272

पु.क्र. / / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2013

भोपाल, दिनांक 3/04/2013

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त मण्डल म.प्र.।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
6. कार्यालय प्रधान महालेखाकार ग्वालियर, (ग.प्र.)।
7. म.प्र.रा.रो.गा.परिषद् (वित्त शाखा) की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव,

म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3

कार्य जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं :-

1. एक हाथ से कमजोर व्यक्ति के लिए संभावित कार्य

1.	पेयजल व्यवस्था करना	5	बच्चों की देखभाल करने में मदद करना
2	पौधारोपण	6	सीमेंट और ईट ढोना
3	परातों को मिट्टी/कंकड़ से भरना	7	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
4	खेतों में बांध लगाना	8	पानी डालना, कंकड़ डालना

2. कार्य जो दोनों हाथों से कमजोर व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं :-

बच्चों की देखभाल करने में सहायता करना (परिवार के सदस्य अथवा बच्चे भी सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से विकलांग व्यक्ति और अधिक आत्म विश्वास महसूस करेगा)

3. कार्य जो एक पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं :-

क्र.	सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य		
1	पेयजल व्यवस्था करना	4	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता	5	परातों को मिट्टी/कंकड़ से भरना
3	पौधारोपण		

स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य			
1	पेयजल व्यवस्था करना	14	कीचड़ को ट्राली में भरना
2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता	15	जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना
3	पौधारोपण	16	तसलों में कूड़े को भरना
4	सिंचाई-नहर खोदना	17	परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना
5	गड्ढों को भरना	18	पत्थर ढोना
6	कीचड़ को भरना	19	पत्थरों को सही स्थान पर रखना
7	निर्माण-मरम्मत ठोस सामग्री	20	भूमि को समतल करना
8	निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना	21	खेतों में बांध लगाना
9	सीमेंट और ईट ले जाना	22	जल संरक्षण भूमि में गड्ढे खोदना
10	परातों को मिट्टी/कंकड़ से भरना	23	गड्ढों से खोदी गई मिट्टी को किसी अन्य स्थान पर रखना

11	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना	24	सड़क बनाना
12	कुएं को गहरा करना—कुएं के अंदर खोदी गई मिट्टी से टोकरी भरना	25	कच्ची सड़क पर झाड़ू लगाना
13	कुएं से कीचड़ को बाहर निकालने में सहायता करना।	26	जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना

4. कार्य जो एक हाथ और एक पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है :-

सहायता से किए जाने वाले कार्य		स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य	
1.	पेयजल व्यवस्था करना	1	पेयजल व्यवस्था करना
2	बच्चों की देखभाल करने में मदद करना	2	बच्चों की देखभाल करने में मदद करना
3	पौधारोपण करना	3	पौधारोपण करना
4	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना	4	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
5	परातों को मिट्टी/कंकड़ से भरना	5	पानी छिड़कना, कंकड़ डालना

5. कार्य जो कूबड़े व्यक्तियों द्वारा किये जा सकते हैं :

- (क) पेयजल की व्यवस्था करना
- (ख) बच्चों की देखभाल करने में मदद करना
- (ग) पौधारोपण करना
- (घ) नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
- (ङ) पानी छिड़कना, कंकड़ डालना

6. (क) एक आंख से अंधे व्यक्ति, जिसकी दूसरी आंख भी कमजोर है, के लिए संभावित कार्य :

1	पेयजल व्यवस्था करना	2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता
3	पौधारोपण	4	सिंचाई—नहर खोदना
5	गड्ढों को भरना	6	कीचड़ को बाहर अथवा ट्राली में भरना
7	निर्माण—मरम्मत टांस सामग्री	9	निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
9	सीमेंट और ईंट ले जाना	10	परातों को मिट्टी अथवा कंकड़ से भरना
11	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना	12	कुएं से कीचड़ को बाहर निकालने में सहायता करना।

13	कीचड़ को ट्राली में भरना	14	जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना
15	तसलों में कूड़े को भरना	16	परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना
17	पत्थर ढोना	18	पत्थरों को सही स्थान पर रखना
19	भूमि को समतल करना	20	खेतों में बांध लगाना
21	जल संरक्षण भूमि में गड्ढे खोदना	22	गड्ढों से खोदी गई मिट्टी को किसी अन्य स्थान पर रखना
23	जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना		

(ख) कार्य जो पूर्ण रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा किये जा सकते हैं :

- (i) पौधारोपण
- (ii) परातों को मिट्टी अथवा कंकड़ से भरना
- (iii) पेयजल की व्यवस्था करना

7. कार्य जो एक कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा किये जा सकते हैं :

1	पेयजल व्यवस्था करना	2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता
3	पौधारोपण	4	सिंचाई-नहर खोदना
5	गड्ढों को भरना	6	कीचड़ को बाहर अथवा ट्राली में भरना
7	निर्माण-मरम्मत ढोस सामग्री	8	निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
9	सीमेंट और ईट ले जाना	10	परातों को मिट्टी अथवा कंकड़ से भरना
11	नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना	12	कुएं से कीचड़ को बाहर निकालने में सहायता करना।
13	कीचड़ को ट्राली में भरना	14	जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना
15	तसलों में कूड़े को भरना	16	परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना
17	पत्थर ढोना	18	पत्थरों को सही स्थान पर रखना
19	भूमि को समतल करना	20	खेतों में बांध लगाना
21	जल संरक्षण भूमि में गड्ढे खोदना	22	गड्ढों से खोदी गई मिट्टी को अन्य स्थान पर रखना
23	जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना		

8. (क) कार्य जो मानसिक रूप से अल्प विकलांग व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं :-

1.	पेयजल व्यवस्था करना	2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता
3	पौधारोपण	4	सिंचाई-नहर खोदना
5	गड्ढों को भरना	6	कीचड़ को बाहर अथवा ट्राली में भरना
7	निर्माण और अन्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना	8	सीमेंट और ईट ले जाना
9	परातों को मिट्टी अथवा कंकड़ से भरना	10	कीचड़ को ट्राली में भरना
11	जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना	12	तसलों में कूड़े को भरना
13	परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना	14	जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना
15	पत्थरों को सही स्थान पर रखना	16	भूमि को समतल करना
17	खेतों में बांध लगाना	18	जल संरक्षण भूमि में गड्ढे खोदना
19	गड्ढों से खोदी गई मिट्टी को किसी अन्य स्थान पर रखना	20	जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना

(ख) कार्य जो मानसिक रूप से अत्यधिक विकलांग व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं :-

1.	पेयजल व्यवस्था	2	बच्चों की देखभाल करने में सहायता
3	पौधारोपण	4	गड्ढों को भरना
5	कीचड़ को बाहर अथवा ट्राली में	6	परातों में मिट्टी अथवा कंकड़ भरना
7	कीचड़ को बाहर अथवा ट्राली में भरना	8	जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना